राजस्थान राज्य सूचना आयोग
झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

द्वितीय अपील संख्या RIC/UDAI/A/2023/103427

अपीलार्थी	बनाम प्रत्यर्थी
श्री लक्ष्मण सिंह, पुत्र श्री भैरु जी झाला, पता–छोटी खेड़ी महुड़ा, पुलिस थाना–घासा, तहसील–मावली, जिला–उदयपुर(राजस्थान)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत–महुड़ा, पंचायत समिति–मावली, जिला–उदयपुर (राजस्थान)

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः–02/05/2024

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
3. मैंने अपीलार्थी को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 13.10.2022 के द्वारा, ग्राम पंचायत–महुड़ा में दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 10.10.2022 तक, के सभी निर्माण कार्यों की पत्रावली, रोकड़बही, खाताबही, इत्यादि के संबंध में 02 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर, आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के क्रम में, प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 07.07.2023 मय संलग्नक प्रेषित किया है, जिसके साथ अपीलार्थी को प्रेषित पत्र दिनांक 07.07.2023 की प्रति संलग्न है। अपीलोत्तर द्वारा यह अवगत करवाया है कि, अपीलार्थी को चाही गई सूचना विस्तृत होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा, 7(9) के तहत अदेय है। अपीलार्थी को इस विनिश्चय से, पत्र दिनांक 07.07.2023 से सूचित कर दिया गया है।
6. सुनवाई के समय आयोग के समक्ष अपीलार्थी ने निवेदन किया कि, मैंने ग्राम पंचायत, में हुए कार्यों की जानकारी मांगी हैं, जो मुझे दिखाई जावे।

Authenticated
Registrar
Raj Information Commission
JAIPUR

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

7. मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 07.07.2023 से चाही गई सूचना के संदर्भ में यह विनिश्चय प्रेषित किया गया हैं, कि वांछित सूचना विस्तृत हैं, जो अधिनियम की धारा 7(9) के तहत नहीं दी जा सकती हैं। पत्र दिनांक 07.07.2023 की प्रति पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली पर उपलब्ध सूचना आवेदन दिनांक 07.07.2023 के पठन से ज्ञात होता है कि, चाही गई सूचना विस्तृत, लगभग 08 वर्षों की है। जिसे तैयार करने में लोकप्राधिकारी के संसाधनों का अननुपाती रूप से विचलन होगा। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के तहत वांछित सूचना अदेय है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी को आदेश दिया जाता है, कि निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में, अपीलार्थी को, पंजीकृत पत्र द्वारा सूचित कर निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर, सूचना से संबंधित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लेवें। अपीलार्थी के स्वयं अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त, सूचना चिन्हित करने पर अधिकतम 25 पृष्ठ निःशुल्क, पृष्ठों को अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर सूचना उपलब्ध करा दी जावे।

9. अस्तु, यह अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

10. निर्णय घोषित।

11. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

Authenticated
Registrar
Raj Information Commission
JAIPUR

(मोहन लाल लाठर)
सूचना आयुक्त

राजस्थान राज्य सूचना आयोग (को॰) जयपुर

Scanned by CamScanner